न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

श्रीमती सुमताबाई कुन्दरो पति श्री अठैया उर्फ
अठ्ठीलाल कुन्दरों उम्र 47 वर्ष
निवासी म.नं. 12, वार्ड नंबर 05,
जुनवानी बल्हवारा जिला जबलपुर

—— अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

2– श्री उमेश जैन पिता श्री सुरेश चंद्र जैन
निवासी आदर्श कॉलोनी, मेहता पेट्रोल पंप के पास
गढ़ रोड़ जबलपुर

3– श्री शेख रज्जाब खान पिता श्री छकोड़ी शाह
निवासी म.नं. 406, गली नंबर 4
सदर जाना मजिस्द के पास, जबलपुर

—— प्रति अपीलार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 117/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 4309-एक/16 अपील जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
4-10-17	कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 117/अ-21/16-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरूद्व यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 वहठित 35 (4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने उसके स्वामित्व की ग्राम रिछाई स्थित भूमि सर्वे कमांक 383 रकबा 0.58 हैक्टर में से रकबा 0.40 है0 के विक्रय की अनुमति कलेक्टर जबलपुर से मांगी है एंव अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 117/अ-21/16-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया है जिसके विरूद्व यह अपील की गई है, जबकि अपीलांट के पास कलेक्टर जबलपुर के समक्ष मध्य प्रदेश. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पुर्नस्थापित कराने का उपचार प्राप्त है एंव संहिता की धारा 35 (4) के अंतर्गत अपील तभी पोषणीय है जब धारा 35 (3) का पुर्नस्थापन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो। अपीलांट चाहे , इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ कलेक्टर जबलपुर के समक्ष धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण के पुर्नस्थापन की मांग कर सकता है। फलतः अपील गुण-दोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	

मुख्य प्रतिलिपिकार